Govt. Degree College, Timarni

Dist.- Harda (MP)

(Affiliated with Barkatullah University,Bhopal)

Accredited by NAAC with 'B'

College Code :- 3208 www.gdctimarni.in AISHE Code :- C-35109

MoU -2019-20

MOU(2019–2020)

S.No.	Session	Name of the MoU / linkage	Name of the institution / industry with whom the MoU is done	Year of signing MoU / linkage	Page Number	Duration of MoU / linkage
1	2019-20	Shree Renuka Forms Timarni	Shree Renuka Farms Timarni	30-12-19	03	6 Years
2		Premshankar Raghuwanshi Foundation	Premshankar Raghuwanshi Foundation	31-12-19	04	05 Years
3		Open and Distance Education	Bhoj Open University Bhopal	23-01-20	05 to 07	-
4		Sports and, e-Waste Management	Knowledge Public School Timarni	05-02-20	08	5 Years
5		Sports and, e- Waste Management	Sunrise Higher Secondary School Timarni	05-02-20	09	4 Years

MOU 2019-20

Shree Renuka Farms Timarni

सहमति ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी, जिला–हरदा (म.प्र.)

एवं

श्री रेणुका फार्मस् टिमरनी

यह एम.ओ.यू दिनांक 30/12/2019 को आपसी सहमति से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है।

1. दोनों संस्थायें वित्तीय एवं अन्य दबाव से मुक्त होंगे।
2. एम.ओ.यू. के तहत दोनों संस्थाएं विद्यार्थियों को जैविक खेती एवं डैयरी उत्पाद के संबंध में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।
3. संस्था विद्यार्थियों के लिएं पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
4. डेयरी उत्पाद के संबंध में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।
5. दोनों संस्थाए जैविक खेती एवं डेयरी उत्पाद के संबंध प्रशिक्षण प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वरोजगार प्राप्त करने में अवसर प्रदान करेंगे।
6. यह सहमति ज्ञापन दिनांक 30/12/2024 तक वैध रहेगा । अवधि के मध्य दोनों पक्ष सहमति से समझौता समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी
PRINCIPAL
Govt. Degree College, Timarni
Distt. Harda (M.P.)
जिला–हरदा (म.प्र.)

Shri Renuka Dairy Farm
संचालक Prop.
श्री रेणुका फार्मस् टिमरनी

गवाह :–

1. Smt. Manisha Rajput — हस्ताक्षर
2. Smt. Durgesh nandini Agrawal — हस्ताक्षर

Premshankar Raghuwanshi Foundation

सहमति ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी, जिला–हरदा (म.प्र.)
एवं
प्रेमशंकर रघुवंशी फाउन्डेशन, हरदा

यह एम.ओ.यू दिनांक 31/12/2019 को आपसी सहमति से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है।

1. दोनों संस्थायें वित्तीय एवं अन्य दबाव से मुक्त होंगे।
2. एम.ओ.यू. के तहत दोनों संस्थाएं विद्यार्थियों की कौशल एवं ललित कला की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।
3. फाउडेशन के माध्यम से पट कथा लेखन, अभिनय, मंचन, अनुवाद, फोटोग्राफी तकनीक, प्रकाश तथा ध्वनि संयोजन इत्यादि ललित कलाओं को निखारा जाता है। इससे संबंधित मागदर्शन महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रदान किया जावेगा।
4. योग, संगीत–गायन/वादन/नृत्य शैलिया, क्रापट वर्क आदि के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन किया जावेगा।
5. दोनों संस्थाए सामाजिक–सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगे।
6. यह सहमति ज्ञापन दिनांक............................तक वैध रहेगा । अवधि के मध्य दोनों पक्ष सहमति से समझौता समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी
जिला–हरदा (म.प्र.)
PRINCIPAL
Govt. Degree College, Timarni
Distt. Harda (M.P.)

अध्यक्ष/सचिव
सचिव
प्रेमशंकर रघुवंशी फाउन्डेशन, हरदा

गवाह :–

1. (Mrs. Mugdha A. Gadre) — हस्ताक्षर
2. Ms. Jyoti Kushiv — हस्ताक्षर

Bhoj Open University Bhopal

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23 /01/2020

क्रमांक 99 /1415/2019/38-3 म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 अंतर्गत म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरशिक्षा पद्धति के प्रारंभ और संवर्धन के लिये राज्य स्तर पर की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उददेश्य पूर्ति हेतु तीन स्तरों पर कार्य करते हुये 10 क्षेत्रीय केन्द्र और 01 उप केन्द्र स्थापित किया गया है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम- 2017 के पृष्ठ क्रमांक 20 अनुलग्नक IV के कंडिका 'क' के परिपालन में गठित समिति द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने की अनुशंसा दिनांक 22.05.2019 को की गई है, जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 25.05.2019 के विषय क्रमांक-5 में किया गया है। 186 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति विभागीय आदेश क्रमांक 834/1415/2019/38-3, दिनांक 07.08.2019 द्वारा प्रदान की गई है।

3. म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय एवं नवीन अध्ययन केन्द्रों के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध पत्र में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, समन्वयक, शिक्षकों को निर्धारित मानदेय राशि का नियमानुसार भुगतान, अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसरंचना फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि में व्यय प्रतिपूर्ति तथा पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय मे तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउंट मे स्थानांतरित की जायेगी, उपरोक्त शर्त पर प्रस्तावित 104 महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाना है।

निरंतर...2

	72	शासकीय महाविद्यालय		साग
	73	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय		साग
	74	शासकीय महाविद्यालय		साग
	75	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	टीकमगढ़	टीक टीक
		उज्जैन		
	76	स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय	सुसनेर	आग माल
	77	शासकीय महाविद्यालय	कन्नौद	देवा
	78	शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय	जावद	नीम
	79	शासकीय महाविद्यालय	पिपलौदा	रतल
	80	शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय	रतलाम	रतल
	81	शासकीय महाविद्यालय	मक्सी	शाज
	82	शासकीय बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' स्नातकोत्तर महाविद्यालय	शाजापुर	शाज
	83	शासकीय कन्या महाविद्यालय	नागदा	उज्ज
	84	माधव विज्ञान महाविद्यालय	उज्जैन	उज्ज
	85	शासकीय महाविद्यालय	बडनगर	उज्ज
	86	शासकीय विक्रम महाविद्यालय	खाचरौद	उज्ज
	87	शासकीय महाविद्यालय	महिदपुर	उज्ज
	88	शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	नागदा	उज्ज
	89	शासकीय महाविद्यालय	तराना	उज्ज
		छिंदवाड़ा		
	90	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	पांढुर्ना	छिंद
	91	स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय	लखनादौन	सिव
	92	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सिवनी	सिव
		होशंगाबाद		
1609	93	शासकीय डॉ भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	आमला	बैतूल
1610	94	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल
1611	95	शासकीय महाविद्यालय	भैंसदेही	बैतूल
1612	96	शासकीय महाविद्यालय (कन्या महाविद्यालय)		बैतूल
	97	शासकीय महाविद्यालय	मुलताई	बैतूल
1614	98	शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय	हरदा	हरद
1615	99	शासकीय महाविद्यालय	टिमरनी	हरद
1616	100	शासकीय कुसुम महाविद्यालय	सिवनी मालवा	होश
		बड़वानी		
	101	शासकीय महाविद्यालय		धार
	102	महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय	धार	धार
	103	शासकीय शहीद चन्द्रशेखर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	झाबुआ	झाबु
	104	शासकीय महावीर महाविद्यालय	पेटलावद	झाबु

-2-

4. राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा- 5 (viii)(ix) के प्रावधान के अंतर्गत परिनियम-11 अनुसार पुन: 104 शासकीय/अशासकीय (Aided) महाविद्यालयों में नवीन अध्ययन केन्द्रों (संलग्न परिशिष्ट-अ) अनुसार स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23-1-2020
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 23 /01/2020

पृष्ठां.क्र. 100 /1415/2019/38-3
प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान. राज्यपाल महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. कुलपति, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. कुलसचिव, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि आदेश के पैरा 3 एवं पूर्वानुसार अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावे।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, (समस्त) उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. प्राचार्य, (समस्त) संबंधित महाविद्यालय, म.प्र.।

23-1-2020
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Knowledge Public School Timarni

``

सहमति ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी, जिला–हरदा (म.प्र.)
एवं
नॉलेज पब्लिक स्कूल, टिमरनी जिला–हरदा (म.प्र.)

के मध्य
यह एम.ओ.यू. 05 फरवरी 2020 को आपसी सहमति से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है।

1. दोनों संस्थायें वित्तीय एवं अन्य दबाव से मुक्त होंगे।
2. दोनों संस्थाओं के विद्यार्थी कौशल विकास, स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार निःशुल्क प्रशिक्षण मे सहभागिता करेंगे।
3. विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं तकनीकी विकास में आपसी सहयोग करेंगे ।
4. ई–वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली को अपनाकर महाविद्यालय एवं विद्यालय के विद्यार्थी परस्पर नये अविष्कार एव आयामों को सांझा कर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे ।
5. दोनों संस्थायें खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल सामग्री, खेल परिस तथा जिम का समय एवं आवश्यकतानुसार परस्पर सहयोग करेंगे ।
6. दोनों संस्थाओं के प्राचार्य आपसी सहमति से छात्रहित में नये आयाम की स्थापना में सहयोग करेंगे।
8. यह सहमति ज्ञापन दिनांक 04 फरवरी 2023 तक वैध रहेगा । अवधि के मध्य दोनों पक्ष सहमति से समझौता समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय टिमरनी
जिला–हरदा (म.प्र.)
Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M.P

प्राचार्य
PRINCIPAL
KNOWLEDGE PUBLIC SCHOOL
TIMARNI
नॉलेज पब्लिक स्कूल, टिमरनी जिला–हरदा (म.प्र.)
जिला–हरदा (म.प्र.)

गवाह :–
1. Abhishek Agrawal
2. M. Sadiya Pant

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

Sunrise Higher Secondary School Timarni

सहमति ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी, जिला–हरदा (म.प्र.)
एवं
सनराइज हायर सेकेण्डी स्कूल टिमरनी जिला–हरदा (म.प्र.)

के मध्य
यह एम.ओ.यू. 05 फरवरी 2020 को आपसी सहमति से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है।

1. दोनों संस्थायें वित्तीय एवं अन्य दबाव से मुक्त होंगे।
2. दोनों संस्थाओं के विद्यार्थी कौशल विकास, स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार निःशुल्क प्रशिक्षण में सहभागिता करेंगे।
3. विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं तकनीकी विकास में आपसी सहयोग करेंगे ।
4. ई–वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली को अपनाकर महाविद्यालय एवं विद्यालय के विद्यार्थी परस्पर नये अविष्कार एवं आयामों को सांझा कर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे ।
5. दोनों संस्थायें खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल सामग्री, खेल परिसर तथा जिम का समय एवं आवश्यकतानुसार परस्पर सहयोग करेंगे ।
6. दोनों संस्थाओं के प्राचार्य आपसी सहमति से छात्रहित में नये आयाम की स्थापना में सहयोग करेंगे।
8. यह सहमति ज्ञापन दिनांक 04 फरवरी 2023 तक वैध रहेगा । अवधि के मध्य दोनों पक्ष सहमति से समझौता समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय टिमरनी
जिला–
Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA)M.P

Principal
Sunrise Higher Secondary School
सनराइज हायर सेकेण्डी स्कूल टिमरनी
जिला–हरदा (म.प्र.)

गवाह :–

1. Abhishek Agrawal — हस्ताक्षर
2. Dr. Mahendra Singh Tadwal — हस्ताक्षर